



इटावा पुलिस



#OPERATION CONVICTION

प्रेस नोट दिनांक 28.03.2024

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते लूट करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 2,000/- रुपये का दिया गया अर्थदंड ।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में **थाना ऊसराहार** व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते लूट करने वाले अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 2,000/- रुपये का दिया गया अर्थदंड ।

संक्षिप्त विवरण:-

वादी राजेश द्विवेदी पुत्र रमेश चन्द्र निवासी मिर्जापुर थाना सौरिख जनपद कन्नौज द्वारा थाना ऊसराहार पर वादी की मोटर साइकिल को रोककर बन्दूक लगाकर पत्नी अंजनी द्विवेदी के गले से सोने की 01 जंजीर व 01 मंगल शूत्र की लूट करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना दी गयी, सूचना पर थाना ऊसराहार पर **मु0अ0सं0 63/2013 धारा 394 भादवि** पंजीकृत किया गया ।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी उ0नि0 जगदेव सोनकर द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र भारत सिंह यादव के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना ऊसराहार पुलिस टीम, पैरोकार का0 पिन्टू कुमार एवं मानीटरिंग सैल व एडीजीसी श्री गौरव दीक्षित द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके परिणामस्वरूप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 28.03.2024 को अन्तर्गत धारा 394 भादवि में मा0 न्यायालय स्पेशल जज डकैती/ADJIII जनपद इटावा द्वारा 05 कारावास की सुनायी गयी सजा तथा 2,000/- रुपये का दिया गया अर्थदंड ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. विनोद कुमार पुत्र भारत सिंह यादव निवासी ग्राम भाऊपुर थाना ऊसराहार जनपद इटावा ।